

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरजगढ़ से बाद जांच रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार सूरजगढ़ की जांच रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व ग्राम भगीना की जमाबंदी संवत् 2074-77 के मुताबिक भूमि ख.नं. 109, 110 में प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में सुखदेव पुत्र लक्ष्मण हि0 1/6 जाति ब्राह्मण सा0 देह के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त खातेदार सुखदेव का देहान्त हो चुका है। जांच व दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रार्थी के पिता का सही व शुद्ध नाम सुखदेव बे बजाय सुखीराम शर्मा पाया गया है। तहसीलदार ने उक्त नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंषा की है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भगीना की जमाबंदी संवत् 2074-77 के मुताबिक भूमि ख.नं. 109, 110 में प्रार्थी के पिता का नाम सुखदेव पुत्र लक्ष्मण हि0 1/6 जाति ब्राह्मण सा0 देह के बजाय सुखीराम शर्मा पुत्र लक्ष्मण हि0 1/6 जाति ब्राह्मण सा0 देह दुरुस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

तहसीलदार सूरजगढ़ उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती की कार्यवाही करें। तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर है

